कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 852 **/बिलासपुर/दिनांक** -10-5-18

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं,
नोडल अधिकारी, व.सं.अ.–1980,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed diversion of forest land for village Shyhimudi Block-Katghora, District Korba, C.G. - Regarding

पंजीयन कोड क्रमांक - FP/CG/SCH/33063/2018

संदर्भ :– आपका पत्र क. /विविध/1184 दिनांक 12.04.2018

––00––

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम–1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा से अनुशंसा उपरांत, संदर्भित ज्ञापन से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदनकर्ता मे. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा जिला–कोरबा द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक P533 की कुल 4.34 हेक्ट. की मांग ग्राम स्याहीमुड़ी में दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय निर्माण हेतु की गई है।

2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 24000/– रूपये जमा कराये गये है।

3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.2 से कम है एवं इसमें मिश्रित प्रजाति के 25 वृक्ष खड़े है एवं वन की Site Quality - IVA है।

4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मुख्य वन संरक्षक / वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :–

   (iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय निर्माण) हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नही है।

(iv) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में राजस्व वनक्षेत्र में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

7. वैकल्पिक वृक्षारोपण चयनित बिगड़े वन भूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता का वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस बिगड़े वन भूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रूपये 600244/– प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार कर संलग्न है।

8. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

9. परियोजना का Cost Benefit Analysis आवश्यक नहीं है।

10. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।

11. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

12. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

13. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 4.34 हे. वन भूमि की इको क्लास के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।

14. मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

पृ.क्रमांक /मा.चि/ 853 **बिलासपुर, दिनांक** 10.5.18

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा (छ.ग.)
2. आवेदनकर्ता मे. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला–कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर